न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2966/2005/अलवर

रामरतन पुत्र श्री सरदारा जाति गुर्जर निवासी दामोदर(छिण्ड) तहसील बानसुर जिला अलवर।

अपीलांट

बनाम

रामकंवार पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी दामोदर(छिण्ड) तहसील बानसुर जिला अलवर।

रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित
श्री अयूब खान, अभिभाषक अपीलान्ट
रेस्पो0 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निर्णय

दिनांकः 01.5.19

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2005 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो./वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बानसूर के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि रेस्पो0/वादी खसरा नं0 986/1 रकबा 5 बीघा वाके ग्रम छीण्ड तहसील बानसूर जिला

अलवर पर अपने पिता के समय से कब्जा काश्त में चला आ रहा था और उक्त विवादित भूमि पर निरन्तर काश्त करता आ रहा है। निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर ही रेस्पो0/वादी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन कर दिया गया। इसके साथ ही रेस्पो0/वादी को विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार घोषित कर दिया गया। परन्तु अपीलांट/प्रतिवादी उक्त विवादित आराजी पर काश्त करने पर दखलंदाजी कर रहा है । उक्त विवादित आराजी पर अपीलांट/प्रतिवादी को कोई हक हकूक नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर रेस्पो0/वादी ने अपीलांट/प्रतिवादी को पाबंद करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.04 से वाद वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया गया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.04 से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर ने भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2005 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को सही मानते हुये अपीलांट/प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में पेश क गयी है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस प्रकरण में सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी व प्रतिवादी दोनों सगे भाई है एक अन्य भाई घनसी है जो फौत हो चुका है तथा उसके वारिसान

मौजूद है। विवादित भूमि जो कि पूर्व में सिवायचक भूमि थी उस पर हमारे पिता द्वारा कब्जा किया गया था और उस भूमि पर वह काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। चूंकि वादी बडा भाई था इसलिए हमारे पिता द्वारा उक्त विवादित भूमि का वर्ष 1975 में उसके नाम नियमन करवा लिया था तथा राजस्व अभिलेख में वादी का नाम ही अंकन कर दिया गया जबकि हम तीनों भाई संयुक्त परिवार में रहते आ रहे है एवं शामिलात में काश्त करते आ रहे है। उक्त विवादित आराजी संयुक्त परिवार की मानी जानी गयी है। पक्षकरान के मध्य एक इकरारनामा दिनांक 05.06.99 को भी तहरीर किया गया था जिसमें विवादित आराजी में तीनों भाईयों का 1/3–1/3 हिस्सा बनता है । अतः नियमानुसार अपीलांट/प्रतिवादी को उसके हिस्से की 1/3 भूमि दिया जाना चाहिए। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में आगे कथन किया कि उक्तानुसार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवदेन किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया।

7. पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संवत 2052 में खसरा नं0 986 रकबा 5 बीघा भूमि पर रामकंवार पुत्र सरदारा गूर्जर साकिन छीण्ड ढाणी दामोदर बास खातेदार दर्ज है। जो प्रदर्श–1 है। खसरा गिरदावरी संवत 2048–51 में खसरा नं0 986/1 रकबा 5 बीघा पर रामकंवार पुत्र सरदारा दर्ज है। साथ ही पर्चा लगान(भू प्रबन्ध विभाग) खाता नंबर 244 पर हाल खसरा नं0 1344 रकबा 2 एयर तथा 1345 रकबा 1.24 पर रामकंवार पुत्र सरदारा कौम गुर्जर

खातेदार दर्ज है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का भी अवलोकन किया गया जिसमें भी वादी/रेस्पो0 रामकंवार को रिकार्डेड खातेदार माना गया है। उक्त आराजी वर्ष 1975 में नियमन की गयी और नियमन वादी/रेस्पो0 रामकंवार को कब्जे के आधार पर उसे अकेले को ही किया गया था। राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य जमाबंदी और खसरा गिरदावरी आदि से रेस्पो0/वादी का ही कब्जा काश्त साबित होता है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपने कब्जे बाबत कोई समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

8. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.5.2005 व 31.03.2004 यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य